

FROM No. 111
फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा मुकाम बडला

सामरवरूप पिता बंशीलाल
निवासी- रुपाहेली कलां

बनाम हीरालाल पिता अर्जुन रंगर
निवासी- सुल्तानपुरा

किरम मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्वयित भाग-128 स.के.रे.ए. एकद प्रकरण संख्या-316/2018

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स अज

नम्बर 8 तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

04.06.2018

प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारों की आराजियात हैं। विपक्षीयण उक्त आराजियात के पडौसी हैं। जिनका भूमि सीमा की जानकारी नहीं होने से वह आये दिन जमीन की कमी बंधी का लेकर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारों आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 मौजा सुल्तानपुरा पटवार हल्का सुल्तानपुरा तहसील हुरडा की आराजी नं 284, 285, 288, 259 किता 4 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा भूमि के खातेदार/काशतकार दर्ज रकाई होना प्रकट आया हैं। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

-आदेश-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया मौजा सुल्तानपुरा पटवार हल्का सुल्तानपुरा तहसील हुरडा की आराजी नं 284, 285, 288, 259 किता 4 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक- हुरडा को 1,500/-रूपये (अक्षरे- एक हजार पाँच सौ रू० मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा को भिजवाई जावे। पत्रावली शुमार फौसल होकर दाखिल दफतर करें। आदेश आज दिनांक 04.06.2018 को खुली अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर

गुलाबपुरा कम्प

